संख्या-1082/22-2-2007-18(64)/99

प्रेषक,

जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव
गृह एवं गोपन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2007

विषय स्वतंत्रता दिवस (दिनांक 15 अगस्त, 2007) के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों को परिहार स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराज्यपाल महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस, 2007 (15 अगस्त, 2007) के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागारों में सजा भोग रहे हैं एवं जेल में जिनका आचरण अच्छा हो, को निम्नानुसार परिहार प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- 10 वर्ष से अधिक की सजा प्राप्त बन्दियों को दो माह की सीमा तक परिहार ।

2- 05 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा प्राप्त सिद्धदोष बन्दियों को 45 दिन का परिहार ।

3- 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के दण्डादेश प्राप्त बन्दियों को 30 दिन का परिहार ।

4- 01 वर्ष तक की अवधि के दण्ड प्राप्त सिद्धदोष बन्दियों को 15 दिन का परिहार ।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत परिहार बन्दियों को जेल मैनुअल में प्राप्त होने वाले परिहार के अतिरिक्त होगा ।

3- निम्न श्रेणी के सिद्धदोष बन्दी उपर्युक्त परिहार प्राप्त करने के हकदार न होंगे ।

1- जो बन्दी विदेश के निवासी हों । किसी बन्दी की नागरिकता के सन्दर्भ में सन्देह होने की दशा में उसकी मुक्ति के पूर्व सम्बन्धित जिला

मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक से स्थिति की पुष्टि करा लेना आवश्यक होगा ।

2– सैनिक अदालतों द्वारा दण्डित बन्दी

3– विचाराधीन बन्दी ।

4– नजरबन्द बन्दी ।

5– फारेनर्स अथवा पासपोर्ट एक्ट के अधीन दण्डित बन्दी ।

6– क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ड एक्ट की धारा 2/3 के अधीन दण्डित बन्दी ।

7– आफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6 एवं 10 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी ।

8– भा0द0सं0 की धारा 120बी एवं 121 से 130 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी ।

9– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी ।

10– ऐसे बन्दी जो जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम किये जाने के कारण दण्डादेश भुगत रहे हों ।

11– भा0द0प्र0सं0 की धारा–433ए एवं धारा–435 के अधीन दण्डित बन्दी ।

12– राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं कोफेपेसा के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डित बन्दी एवं भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–। में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिये गये अपराध ।

13– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ।

14– महिलाओं एवं बच्चों के प्रति किया गया अपराध ।

15– स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं0–46)

16– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989

17– ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा कारागार में निरूद्ध रहने की अवधि में अथवा पैरोल/गृह अवकाश की अवधि में कोई अपराध किया गया हो

भवदीय,

(जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–1882/22–2–2007–18(64)/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 ।

3– कैबिनेट सचिव, उ0प्र0।

4– सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5– समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।

6– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उत्तर प्रदेश शासन।

7– प्रमुख सचिव, गृह/चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन ।

8– निजी सचिव, मा0 कारागार मंत्री जी, उ0प्र0 ।

9– रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

10– महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश/प्रमुख सचिव, न्याय उ0प्र0 शासन।

11– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।

12– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0 ।

13– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

14– क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/गोरखपुर/बरेली/लखनऊ ।

15– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

16– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला कारागार, उ0प्र0 ।

17– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव ।